राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर

कमांक एफ–4/मु./वित्त/बैंक समा./2024/ 3837 **दिनांकः** 09.09.2024

क्षेत्रीय प्रबन्धक/मण्डल प्रबन्धक/शाखा प्रबन्धक

....

....

....

विषयः– कैश इन सेफ एवं कैश इन ट्रांजिट राशि का बीमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि निगम के विभिन्न आगार, केन्द्रीय बस स्टेण्ड एवं केन्द्रिय कार्यशाला, मेला स्थल आदि इकाइयों में दैनिक संग्रहित राशि एवं उनके अधिनस्थ क्षेत्रों में ऐसे बुकिंगघर जिनकी राशि आगार/बैंक में जमा होती है तथा उक्त दोनों प्रकार की राशि निगम आगार/बुकिंगघर की चेस्ट/ सेफ में रहती है, निगम में उपलब्ध उक्त राजस्व को अगले कार्य दिवस में बैंक के आहरण/संग्रहण खाते में जमा करवाया जाता है।

उक्त संग्रहित राशि को निगम रोकडिया एवं निगम कर्मचारी के द्वारा निगम वाहन से तथा ऐसे स्थान जहाँ निगम वाहन नही जाता है, वहाँ अन्य वैकल्पिक साधन द्वारा बैंक में राशि जमा करवाई जाती है। अतः उक्त राशि का निम्नानुसार बीमा करवाया जाना प्रस्तावित हैः–

1. निगम कोष में जमा राशि की सुरक्षा।
2. संग्रहित राशि का बैंक में जमा करवाये जाने तक की सुरक्षा।

उक्तानुसार निगम के समस्त आगार के कोष (चेस्ट) में रखी हुई एवं मार्गस्थ राशि जो औसतन प्रतिदिन 3.89 करोड रूपये के लगभग है, बीमा करवाये जाने हेतु नियम, शर्ते एवं प्रीमियम राशि से सम्बन्धित सीलबन्द बोली दिनांक 30.09.2024 को 3.00 PM बजे तक भिजवाने का श्रम करावें।

नोटः– 1. बीमा करने वाली फर्म वित्तीय बोली (Financial bid) की दरे पृथक से सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करे।

2.बीमा करने वाली फर्म तकनीकी बोली (Technical bid) की दरे पृथक से सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करे।

3. गत बारह वर्षो से निगम द्वारा बीमा करवाया जा रहा है, इसमें से सात वर्षो में निगम ने बीमा कम्पनी से कोई बीमा क्लेम राशि प्राप्त नही की है। वर्ष 2016 में बीमा कम्पनी से मात्र 16000/– रू. बीमा क्लेम की राशि निगम ने प्राप्त की है।

वित्तीय सलाहकार

संलग्नः– 1. आगार/इकाइयों की सूची 2. सामान्य शर्ते 3. बोली सूचना, प्रपत्र एवं फार्म 4. अनुबन्ध पत्र का प्रोफार्मा 5. वित्तीय बोली (Financial bid)का प्रोफॉर्मा 6. तकनीकी बोली (Technical bid) का प्रोफॉर्मा

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
मुख्यालय, परिवहन मार्ग, जयपुर 302001

बोली–सूचना

निगम की विभिन्न इकाईयों के चेस्ट में रखी हुई राशि एवं चेस्ट से बैक में जमा करवानें तक का मार्गस्थ राशि का बीमा करवाये जाने हेतु सीमित बोली प्रस्ताव दिनांक 30.09.2024 को 3.00 PM बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा प्राप्त बोली प्रस्ताव को उसी दिन सांय 3.30 PM बजे बोली प्रस्ताव में भाग लेने वाली बीमा कम्पनी के उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष निगम कमेटी द्वारा खोला जावेगा।

बोली प्रस्ताव के नियम, शर्ते एवं विस्तृत जानकारी निगम की वेबसाइट WWW . transport. rajasthan. gov.in / rsrtc अथवा sppp. rajasthan. gov. in (State Public Procurement Portal Website) पर देखी जा सकती है।

Deepali

संयुक्त महा प्रबन्धक(वित्त)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
मुख्यालय, परिवहन मार्ग, जयपुर 302001

<u>बोली–प्रपत्र</u>

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर के तहत निगम की विभिन्न ईकाइयों के चेस्ट में रखी हुई राशि एवं चेस्ट के बैंक में जमा करवाने तक का मार्गस्थ राशि का बीमा करवाये जाने हेतु सीमित बोली आमंत्रित की जाती है। बोली के लिए विवरण एवं अन्य सूचनाएँ निम्न प्रकार है:–

1– बोली प्रपत्र जारी की दिनांक 09.09.2024

2– बोली प्रपत्र जमा की दिनांक 30.09.2024 को 3.00 PM बजे तक।

3– बोली खोलने की दिनांक 30.09.2024 को 3.30 PM बजे

4– बोली प्राप्त एवं खोलने का स्थानः– संयुक्त महा प्रबन्धक (वित्त), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।

सलग्नः–उपरोक्त बोली के लिए सामान्य जानकारी एवं शर्ते

Deepali

संयुक्त महा प्रबन्धक(वित्त)

सामान्य जानकारी एवं शर्तेः—

1. निगम के विभिन्न आगार केन्द्रीय बस स्टेण्ड, केन्द्रीय कार्यशाला एवं मेला स्थल आदि ईकाइयों में दैनिक संग्रहित राजस्व राशि एवं उनके अधीनस्थ क्षेत्रों में ऐसे बुकिंग घर जिनकी राशि आगार/बैंक में जमा होती है तथा उक्त दोनों प्रकार की राशि निगम आगार/बुकिंग घर की चेस्ट में रहती है। निगम में उपलब्ध उक्त राजस्व को अगले कार्य दिवस में जमा करवाया जाता है।
2. उक्त संग्रहित राशि को निगम रोकडिया एवं निगम कर्मचारी के द्वारा निगम वाहन से तथा ऐसे स्थान जहाँ निगम वाहन नही जाते है, वहाँ अन्य वैकल्पिक साधन द्वारा बैक में जमा करवाई जाती है।
3. बीमा निगम के कोष की राशि की सुरक्षा एवं संग्रहित राशि को बैंक में जमा करवाने तक की सुरक्षा हेतु करवाया जाना है।
4. सम्बन्धित ईकाइयों के नाम एवं उसकी अनुमानित दैनिक औसत राजस्व राशि का विवरण पत्र सलंग्न है।
5. कैश इन ट्रांजिट एवं कैंश इन सेफ का बीमा सलंग्न विवरण के अनुसार निगम की सभी यूनिटस जो राज्य एवं अन्तर्राज्यीय सीमा में स्थित है, समस्त पर लागू होगा।
6. कैश हेतु संधारित रिकार्ड/सेफ की चाबियॉ रखने आदि की प्रक्रिया निगम नियमानुसार बीमा कम्पनी को मान्य होगी।
7. बीमा कम्पनी को निगम के साथ रू. 500/— के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध पत्र का प्रारूप सलंग्न किया जा रहा है। जिसकी शर्ते भी बीमा कम्पनी को मान्य होगी।

Deepak S.

संयुक्त महा प्रबन्धक(वित्त)

बीमा कार्य में तकनीकी बोली (Technical bid) का प्रोफॉर्माः–

1. बीमा करने वाली फर्म का नाम एवं पताः–

2. बीमा करने वाली फर्म के तकनीकी अनुभवों का विवरणः–

3. बीमा करने वाली फर्म के जी.एस. टी.नम्बरः–

4. बीमा करने वाली के PAN नम्बरः–

5. बीमा करने वाली फर्म के बीमा कार्य के रजिस्ट्रेशन नम्बरः–

6. बीमा करने वाली फर्म द्वारा गत 5 वर्षो में जिन–जिन सस्थानों में कार्य किया, उसका सम्पूर्ण विवरणः–

7. बीमा करने वाली फर्म द्वारा बीमा राशि के विरूद्ध गत 5 वर्षो में विभिन्न सस्थानों में घटना के घटित होने पर कितनी–कितनी राशि का क्लेम का भुगतान किया गया, का सम्पूर्ण विवरणः–

8. बीमा करने वाली फर्म द्वारा विभिन्न सस्थानों में अस्वीकृत किये गये बीमा क्लेम की राशि, एवं बीमा क्लेम अस्वीकृति के क्या–क्या कारण रहे, का पूर्ण विवरणः–

9. अन्य विशेष विवरणः–

स्थानः–
दिनांकः–

हस्ताक्षर
(फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि)
फर्म का नाम एवं पूर्ण पता

Due on................

Date of opening: ....

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION

Parivahan Marg, Chomu House, Jaipur.

BID FORM

NB: This form is not transferable and can be use of only by the Insurance Company in whose favour it is issued

1. Subject : Insurance for cash in safe and cash in transit.
2. Reference : The Financial Advisor, Rajasthan State Road Trasport Corporation, Jaipur

Bid Notice No................ dated

3. Address : The Financial Adviser, Rajasthan State Road Transport Corporation, H.O. Parivahan Marg, Jaipur.

1. Name and Full Address of Bidder

....

....

....

2. I/ We agree to abide by all the terms and conditions mentioned in above Bid notice No................ Dated........................ and also the further terms and condition of the said bid notice give in the attached sheets all pages of which have been signed by me/us in token of my/our co. acceptance of terms and conditions mentioned therein and are returned herewith along with tender.
3. The Premium rares are given in the enclosed list.

Encl: As above.

Signatures of the Bidder
along with seal

बीमा कार्य में वित्तीय बोली (Financial bid) का प्रोफॉर्माः–

1. बीमा करने वाली फर्म का नाम एवं पताः–
2. बीमा करने वाली फर्म के जी.एस. टी.नम्बरः–
3. बीमा करने वाली फर्म के PAN नम्बरः–
4. बीमा करने वाली फर्म के बीमा कार्य के रजिस्ट्रेशन नम्बरः–
5. बीमा करने वाली फर्म द्वारा दी गई दरें:–

स्थानः–
दिनांकः–

हस्ताक्षर
(फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि)
फर्म का नाम एवं पूर्ण पता

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध आज दिनांक..................को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय परिवहन मार्ग जयपुर (जिसे आगे निगम कहा जायेगा) और ....जिसमें इसके मालिक, साझेदार,उत्तराधिकारी, प्रशासक, आदि जैसी भी स्थिति हो, सम्मिलित है। (जिसे आगे बीमा कम्पनी कहा जावेगा) जिसका पंजीकृत कार्यालय ....शाखा/ मण्डलीय कार्यालय के मध्य निगम की मार्गस्थ एवं सेफ में रखी राशि का बीमा कराये जाने हेतु अनुबन्ध बीमा कम्पनी से निम्न शर्तो के अधीन किया जाता हैः–

1. यह है कि अनुबन्ध की अवधि दिनांक .... से ....तक होगी।
2. निगम के विभिन्न आगार, केन्द्रीय बस स्टेण्ड एवं केन्द्रीय कार्यशाला, मेला आदि इकाईयों में दैनिक संग्रहित राशि एवं उनके अधीनस्थ क्षेत्रों में ऐसे बुकिंग घर जिसकी राशि आगार/ बैंक में जमा होती है, उक्त दोनो प्रकार की राशि निगम आगार/बुकिंग घर के चेस्ट में रहती है, उक्त राजस्व को बैक में अगले कार्य दिवस में निगम के सग्रंहण /आहरण खाते में जमा कराया जाता है। इस प्रकार निगम कोष में जमा राशि की सुरक्षा और सग्रंहित राशि को बैक में जमा करवाये जाने तक बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत मान्य होगी ।
3. यह कि कैश इन ट्रांजिट एवं कैश इन सेफ का बीमा निगम की सभी युनिटस अर्थात मुख्यालय, आगार अधिनस्थ बुकिंग घरों एवं मेला स्थल जो राज्य एवं अन्तर्राजीय सीमा में स्थित है, संलग्न सूची के अनुसार होगा ।
4. यह है कि कम्पनी को निगम के द्वारा राशि ..../–रू.(रू ....रूपये मात्र) सेवा कर सहित देय होगी ।
5. यह है कि बीमा कम्पनी निगम को लूट, चोरी, डकैती दंगें, हडताल व आगजनी, दुर्भावनावश आकस्मिक कारणों से मार्ग में हुई राशि की हानि की क्षतिपूर्ति करेगी साथ ही राशि जो निगम परिसर में सेफ/सैफो में रखी होगी यदि सेन्धमारी , ग्रह भेदन लूट होल्डअप दंगें हडताल आगजनी व दुर्भावना से हुई हानि की क्षतिपूर्ति भी बीमा कम्पनी करेगी।
6. यह है कि बीमा कम्पनी की धन बीमा पॉलिसी की परिभाषायें एवं अपवर्जनाएं(Exclusions) इस अनुबन्ध का भाग होगी।
7. यह है कि केश हेतु संधारित रेकार्ड/सैफ की चाबियां रखने आदि की प्रकिया निगम नियमानुसार बीमा कम्पनी को मान्य होगी।
8. निगम के विभिन्न आगार, आगार अधिनस्थ बुकिग घर, केन्द्रीय कार्यशाला, केन्द्रीय भण्डार, मेला स्थल आदि यूनिटस संलग्न सूची के अनुसार बीमीत होगी। उक्त सूची इस अनुबन्ध का भाग होगी । भविष्य में दोनों पक्षों की सहमति से यूनिट्स घटाई या जोडी जा सकती है।
9. यह है कि अनुबन्ध की अवधि में घटित घटना के सम्बन्ध में सूचना एक माह के अन्दर–अन्दर बीमा कम्पनी को देनी होगी। अनुबन्ध अवधि के दोरान एवं अनुबन्ध अवधि की समाप्ति के एक माह के अन्दर–अन्दर प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी उचित कारण से. क्लेम प्रस्तुत करने में विलम्ब होता है तब ऐसी स्थिति में भी बीमा कम्पनी क्लेम स्वीकार करेगी।
10. यह है कि बीमा क्लेम के लिये आवश्यक दस्तावेज यथा घटना की सूचना, प्रथम सूचना रिपोर्ट आदि निगम द्वारा बीमा कम्पनी को उपलब्ध करवाया जावेगा।
11. यह है कि दावे से सम्बन्धित आवश्यक प्रपत्र/सूचना प्राप्त होने पर सामान्य स्थिति में अधिकतम एक माह की अवधि में बीमा कम्पनी द्वारा आवश्यक रूप से दावें का निस्तारण कर क्लेम राशि का भुगतान निगम को किया जावेगा अन्यथा दावों के विलम्ब से निस्तारण की स्थिति मे आई.आर.डी. ए. के नियमो के अनुसार बीमा कम्पनी उत्तरदायी होगी ।
12. यह है कि दावा राशि के भुगतान का चैक बीमा कम्पनी द्वारा वित्तीय सलाहकार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय, परिवहन मार्ग, जयपुर के नाम भिजवाया जावेगा।

13. यह है कि अनुबन्ध कियान्वयन शर्तो एवं अनुबन्ध से सम्बन्धित अन्य किसी प्रकार की विवेचना के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न होने पर, विवाद के निस्तारण के लिये सोल आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेंशन एक्ट 1996 के नियमों के अनुसार रखा जावेगा, तथा दोनो पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रकरण के निस्तारण हेतु निगम द्वारा इस प्रयोजनार्थ, गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जावेगे।

14. यह है कि कैश इन ट्रांजिट एवं कैश इन सैफ का क्लेम प्राप्त करने के लिये, निगम बीमा दावें के लिये बीमा कम्पनी के विरूद्व दावा करने हेतु सक्षम होगा।

15. यह है कि निगम के राजस्व को सभी आगारों में कैशियर एवं एक अन्य कर्मचारी के द्वारा निगम वाहन से तथा ऐसे स्थान जहां निगम वाहन नही जाती है, वहां अन्य वैकल्पिक साधन द्वारा बैंक में राशि जमा करवाई जाती है, साथ ही बुंकिग घरों का राजस्व बुंकिग क्लर्क द्वारा ही जमा कराया जाता है। निगम कि उक्त प्रकिया से बीमा कम्पनी सहमत है।

16. धन बीमा पॉलिसी की अनुसूचि में वर्णित Limit of Any one Loss के लिये सम्बन्धित यूनिट/आगार/बुकिगघर के लिये पॉलिसी में वर्णित आय की अधिकतम राशि होगी। बीमा कम्पनी का उक्त पत्र अनुबन्ध का भाग होगा।

17. विवादों के निर्णयार्थ, न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

उक्त अनुबन्ध को दो प्रतियो में तैयार कर हस्ताक्षर किये गये है जिसमें प्रथम मूल प्रति निगम के पास एवं द्वितीय प्रति बीमा कम्पनी के पास रहेगी तथा दोनो प्रतियां ही मूल मानी जावेगी।

स्थानः जयपुर

दिनांक

बीमा कम्पनी की ओर से प्राधिकृत अधिकारी	निगम की ओर से प्राधिकृत अधिकारी

गवाह(प्रथम) गवाह(प्रथम)

हस्ताक्षर हस्ताक्षर

गवाह(द्वितीय) गवाह(द्वितीय)

हस्ताक्षर हस्ताक्षर

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION, HEAD OFFICE, JAIPUR

Revenue Statement for ACS 2024-2025

S. No.	Depot/Unit	Average revenue Per Day (Rs.)
1	ABU ROAD	373000
2	AHAMDABAD	304000
3	AJAYMERU	663000
4	AJMER	487000
5	ALWAR	1104000
6	ANOOPGARH	663000
7	BANSWARA	572000
8	BARAN	544000
9	BARMER	742000
10	BEAWER	772000
11	BHARATPUR	750000
12	BHILWARA	1122000
13	BIKANER	953000
14	BUNDI	466000
15	DEOLEI	36000
16	CBS JAIPUR	2472000
17	CBS AJMER	714000
18	CHITTORGARH	704000
19	CHURU	566000
20	DAUSA	424000
21	DELHI	672000
22	CHANDIGARH	51000
23	HARIDWAR	116000
24	DELUXE	498000
25	DHOLPUR	647000
26	AGARA	76000
27	DEEDWANA	473000
28	DUNGERPUR	589000
29	SANGWARA	25000
30	FALANA	316000
31	GANGANAGAR	1009000
32	HANUMANGRH	1174000
33	HINDON	540000

34	JAIPUR	1150000
35	JAISALMER	247000
36	JALOR	430000
37	JHALAWAR	429000
38	EKELRRA	26000
39	JHUNJHUNU	980000
40	JODHPUR	1445000
41	KAROLI	95000
42	KHETRI	441000
43	KOTA	1014000
44	KOTPUTALI	550000
45	LOHAGARH	860000
46	MATSYANAGAR	917000
47	NAGOUR	806000
48	PALI	548000
49	PHALODI	442000
50	PRATAPGARH	255000
51	RAJSAMAND	349000
52	SARDARSAHAR	716000
53	SAWAIMADHOPUR	274000
54	SHAHPURA	285000
55	SIKAR	1334000
56	SIROHI	482000
57	SRIMADHOPUR	516000
58	TIJARA	422000
59	TONK	762000
60	UDAIPUR	1385000
61	VAISHALINAGAR	750000
62	VIDHYADHARNAGAR	354000
	Grand Total	**38881000**